संख्या:145/2024/26बीपी/35-1-2024/35-1099/32/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 08 अगस्त,2024

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पशुधन विभाग की परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या: 30/2018/ 107 बीपी/35-1-2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 द्वारा पशुधन विभाग की प्रश्नगत 03 परियोजनाओं की रू. 120.00 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 53.44 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई तथा वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गई। विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता में से रू. 20.75 करोड़ की बचत इंगित की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्यों की संशोधित आवश्यकता रू. 99.25 करोड़ हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या: 72 बीपी/35-1-2019, दिनांक 25 जून, 2019 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू. 44.18 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 21.24 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या: 2/2021/16 बीपी/35-1-2021, दिनांक 27 जनवरी, 2021 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू. 17.92 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 3.76 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या: 13/2021/73 बीपी/35-1-2021, दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू. 3.13 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या: 4/2022/35बीपी/35-1-2022/001-35-1099/32/2021 दिनांक 07 जुलाई, 2022 द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू. 71.12 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 27.56 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दी गयी। इस प्रकार अब तक पशुधन विभाग की प्रश्नगत परियोजनाओं की संशोधित आवश्यकता रू. 99.25 करोड़ के सापेक्ष कुल मिलाकर रू. 55.69 करोड़ का व्यय हुआ है तथा रू. 43.56 करोड़ की धनराशि अवशेष है। विभाग के पत्र पत्रांक-39/सात-3/कु0/बु0पै0/2024-25 दिनांक 07 जून, 2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 43.56 करोड़ की मांग की गई है।

2. एतद्द्वारा परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय धनराशि रू. 55.69 करोड़ को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय मांग के सापेक्ष रू. 24.50 करोड़ (रूपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(रू. करोड़ में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	विभाग द्वारा इंगित बचत	संशोधित आवश्यकता	माह मार्च, 2024 तक व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना**	70.00	0.00	70.00	26.44	24.50
2	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित 120 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का विस्तारीकरण एवं 52 नवीन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना एवं क्रियाशील किये जाने की योजना	25.00	1.57	23.43	23.43	0.00
3	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए महिलाओं की जागरूकता और क्षमता निर्माण	25.00	19.18	5.82	5.82	0.00
	योग	**120.00**	**20.75**	**99.25**	**55.69**	**24.50**

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 19 नवम्बर, 2018, दिनांक 25 जून, 2019, दिनांक 27 जनवरी, 2021, दिनांक 09 अगस्त, 2021, दिनांक 07 जुलाई, 2022 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. प्रशा0 विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रशा0 विभाग द्वारा धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे उक्त दिनांक से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तदनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
8. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक: 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 24,50,00,000/- (रूपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 2575028000418 पशुधन विभाग की परियोजनायें (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-5-25-X-2024-25 दिनांक:05 अगस्त, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या:145/2024/26बीपी(1)/35-1-2024/35-1099/32/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
6. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।